सेवामें,

माननीय मुख्य न्याय पीठ
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
मुख्य शाखा दिल्ली

विषय :– रणधीसर पहाड़ी पर अवैद्य खनन व ब्लास्टिंग को माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य पीठ दिल्ली द्वारा दिनांक 22.08.2022 को जारी अन्तरिम आदेश के भय से स्थानीय खनन अधिकारियों द्वारा तुरन्त बंद करवाने की अग्रिम सूचना का अवलोकन किया जाकर आगामी दिनांक 29.09.2022 की सुनवाई में शामिल किये जाने बाबत।

प्रसंग :– जनहित मूल प्रार्थना–पत्र संख्या 209/2022 मेघसिंह व अन्य बनाम राजस्थान सरकार के सन्दर्भ में।

महोदयजी,

उपरोक्त प्रसांगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे मूल प्रार्थना–पत्र संख्या 209/2022 में विगत तारीख पेशी दिनांक 22.08.2022 के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश जारी किया गया। इस आदेश के भय से स्थानीय खनिज अभियन्ता, चूरू ने अपने पत्र क्रमांक 1687 दिनांक 07.09.2022 द्वारा रणधीसर पहाड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राजस्थान) में स्वीकृत खनन पट्टों को असुरक्षित खनन के कारण निरस्त करने बाबत निदेशक, खान व भू विज्ञान विभाग, उदयपुर को आनन–फानन में पत्र लिखा। खान व भू विज्ञान विभाग उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक निदे/प. 2(एच–1)चूरू/2022/826–830 दिनांक 08.092022 को आदेश जारी कर दिनांक संलग्न सारणी अनुसार सभी खनन पट्टों को खण्डित करने का अनुमोदन कर दिया।

ऐसा तभी होता है जब आपकी नौकरी दाव पर लगी हो और गैर कानूनी कृत्य उजागर होकर जेल जाने की नौबत आ जाती है। भ्रष्टाचार नहीं एक महाभ्रष्टाचार रणधीसर पहाड़ी पर अवैद्य खनन के गोरख धंधे में हुआ है। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एमएन जैसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी से इस सम्पूर्ण खनन घोटाले की जांच करवाई जाये तो पूरे घोटाले की परते खुल जायेगी तथा वर्ष 1999 से 2022 तक के सारे खनन अधिकारी रडार पर आ जायेंगे।

इन्ही खनन अधिकारियों के दस्तावेजों में इन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि रणधीसर पहाड़ी पर वर्ष 1999 से अब तक अवैद्य खनन जारी है। इन अधिकारियों की खनन माफियाओं से सांठ–गांठ के चलते औपचारिता के तौर पर कितना जुर्माना/शास्ती लगाया गया और कितना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अवैद्य खनन के चलते जिस प्रकार रणधीसर पहाड़ी का वजूद मिटने के कगार पर आ गया तो इस घोटाले की वर्षवार तुलनात्मक जांच करवाने पर ही सच्चाई उजागर हो सकेगी।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने इस बाबत अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं दिया है, प्रकरण आपकी अदालत में सुनवाई के स्तर पर लम्बित है। इसके उपरान्त भी

खनिज अभियन्ता, चूरू ने आपके आदेशों के बिना ही सारी वैद्य–अवैद्य खनन गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से बंद क्यों कर दिया ? खनिज अभियन्ता ईमानदार होते तो उन्होने ऐसा ग्रामीणों की वर्षों से चल रही शिकायतों पर संज्ञान लेकर अपने कर्तव्य का सही निष्पादन क्यों नहीं किया ? क्यों उन्होंने आज तक एक भी अवैद्य खनन गतिविधी पर निर्णय नहीं लिया ? अब कौनसा पहाड़ टूट पड़ा की रातो–रात सम्पूर्ण रणधीसर पहाड़ी एक साथ बंद कर दी।

खनिज अभियन्ता, चूरू की इस कार्यवाही की जानकारी लीक होते ही खनन माफियाओं ने रात्रि में पहाड़ी पर एक साथ अवैद्य ब्लास्टिंग कर खनन सामग्री का अवैद्य भण्डारण कर लिया तथा प्राकृतिक सम्पदा को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया, इसका जवाबदार कौन होगा ? खनिज अभियन्ता चूरू की इस कार्यवाही के चलते खनन माफिया आनन–फानन में अपना संसाधन समेट कर चले जायेंगे। पीछे बचेंगे रणधीसर पहाड़ी की बर्बादी के अवशेष और हमारे पशुधन, वन्यजीव–जन्तुओं व प्राकृतिक सम्पदा को नष्ट कर छोड़ी गई मौत की खाई की भरपाई कौन करेगा ? कैसे पूर्ति होगी प्राकृतिक परिवेश की दुर्दशा। खनन माफियाओं द्वारा खोदी गई 500–500 फीट खदानों के गड्ढे कैसे भरेंगे। धरती माता के सीने के ये जख्म सदैव खुले रहेंगे।

इस पूरे खनन क्षेत्र के चारों ओर केन्द्र सरकार के वर्षों पुराने आदेशानुसार 4 फीट की सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाये बिना ही आनन–फानन में यह कैसा निर्णय लिया गया ? हमारी प्राकृतिक सम्पदा का धणी कौन होगा ? इसलिए सहायक खनिज अभियन्ता, चूरू श्री सोहनलाल गुरू, अधीक्षण खनिज अभियन्ता, बीकानेर श्री भीमसिंह, खान व भू विज्ञान विभाग, उदयुपर के अधीक्षण खनिज अभियन्ता (मु.ाा) अनिल खिमेसरा, राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के नागौर नोडल अधिकारी श्री दीपक तंवर, एवं उपवन संरक्षक, चूरू श्रीमती सविता दहिया, सहायक उपवन संरक्षक कृष्णमृग अभयारण्य, तालछापर श्री दिलीपसिंह एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को पक्षकार बनाया जाकर इनकी जवाबदेयता तय की जाये।

दिनांक 09.09.2022 को रणधीसर पहाड़ी पर अधिकारी नोटिस देने आये तो खनन माफियाओं ने नोटिस नहीं लिये जाना बताया क्योंकि उन नोटिसों में यह लिखा था कि यहां पर कोई लीजें नहीं है। सब लीजे समाप्त हो चुकी है। इस बात को लेकर इनके मध्य काफी तकरार भी हुई। इस तकरार में खनन माफियाओं ने सहायक खनिज अभियन्ता चूरू श्री सोहनलाल गुरू पर यह आरोप लगाया कि आपके कहे अनुसार एनजीटी से आई टीम को 1800000/– रूपये दिये है, जब आपको खनन बंद ही करना था तो हमें दो तरफा क्यों मारा। सच्चाई से पर्दा अब इनकी दबी जुबान से उठने लगा है, क्योंकि सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती है। मेरे द्वारा इस सर्वे टीम के बाबत जो शिकायत प्रस्तुत की गई थी वो अब प्रमाणित साबित हो रही है।

माननीय न्यायालय ने विश्वास कर सर्वे टीम गठित की थी जो कि हम ग्रामीणों को न्याय दिलाती। इस सर्वे टीम ने माननीय न्यायालय के समक्ष रणधीसर पहाड़ी की वास्तविक स्थिति पेश न कर खनन माफियाओं के हित में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर

एक तथ्यों से परे भ्रामक रिपोर्ट बना कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी। इस सर्वे टीम के सदस्यों ने ग्रामीणों के साथ तो अन्याय किया ही है साथ ही माननीय न्यायालय की गरिमा के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया है। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करावे ताकि आमजन में न्याय व न्यायालयों के प्रति विश्वास बना रहे।

दिनांक 22.08.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश जारी कर रणधीसर पहाड़ी की पुनः जांच, विडियोग्राफी, फोटोग्राफी एवं जीपीएस सर्वे एवं स्थानीय समुदाय की फरियाद सुनने हेतु दो सप्ताह में एक केन्द्रीय जांच दल का गठन किया था। आज दिनांक 15.09.2022 तक ऐसी कोई टीम यहां नहीं आई है।

यहां रणधीसर पहाड़ी पर रतनगढ़ विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुका पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा का भी क्रेशर है जो कि इस कार्यवाही से प्रभावी से हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वह भाग दौड़ कर रहा है। केन्द्र सरकार तक उसकी पहुंच है, ऐसे में डर है कि आप द्वारा गठित जांच दल को यह प्रभावित न कर दें। अब रणधीसर पहाड़ी से जुड़े सभी विभाग अपने–अपने बचाव में एकजुट हो गये है तथा एक बार पुनः माननीय न्यायालय को गुमराह करने का ताना–बाना बुना जा रहा है।

अब मैं अपको रणधीसर पहाड़ी पर विभिन्न विभागों से जुड़े क्रिया–कलापों के बारे में अवगत करा रहा हूँ जो कि दिनांक 22.08.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम आदेश के बाद किये जा रहे है

1. वन विभाग :– दिनांक 08.09.2022 से वन विभाग प्रशासन ने अपने बचाव के लिए इन खनन माफियाओं की मदद से रणधीसर पहाड़ी खनन क्षेत्र से कहीं अन्यत्र जगह पेड़–पौधे लगा कर माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहते है। रणधीसर पहाड़ी के निकटवर्ती गांव छापर, रणधीसर, बोथियाबास, धातरी, की गौशाला अध्यक्षों से इनके लेटर हेड पर यह लिखवा कर लेना चाहते है कि हमारी गौशाला में रणधीसर पहाड़ी एशोसियेशन द्वारा पेड़ इतने लगाये गये तथा रख रखाव किया गया। इनमें से हमारे गांव की श्री मातेश्वरी गौशाला का अध्यक्ष महावीर सिंह भी है जिसके फोन नम्बर 9799779122 है जिसने खनन माफियाओं को इंकार कर दिया। तत्पश्चात सरपंच से पंचायत की कहीं पर कोई खाली भूमि उपलब्ध किये जाने को कहा लेकिन विफल रहे। अब अन्त में रणधीसर पहाड़ी के निकट एक खेत खसरा नम्बर 812/327 एवं 814/30 के खातेदार परमेश्वरलाल हुड्डा के 3.9452 हैक्टेयर खेत को 3 साल के अनुबंध पर लेकर इसमें पेड़–पौधे लगाये जा रहे है। जबकि मौके पर खड़ी फसल को नष्ट किया गया है। क्या ऐसे ओछे हथकंडे अपनाने से केन्द्र सरकार के आदेश की शर्त संख्या 13 की पूर्ति हो जायेगी। 13 नम्बर शर्त का मतलब यह है कि अति संवेदनशील क्षेत्र के अन्दर खाली

जगहों पर सघन वृक्षारोपण किया जाये ताकि प्रदूषण से उड़ने वाली डस्ट/ धूल कणों को कुछ हद तक रोक कर वायु प्रदूषण कम किया जा सके। रणधीसर पहाड़ी के अतिसंवेदनशील क्षेत्र में नियमानुसार वृक्षारोपण किया हुआ होता तो यह नौबत ही नहीं आती तथा अन्यत्र वृक्षारोपण के नाम पर लीपापोती नहीं की जाती। रणधीसर पहाड़ी पर वन विभाग के अधिकारियों की खान विभाग के अधिकारियों एवं खनन माफियाओं से सांठ–गांठ के चलते ऐसा नहीं हुआ तथा पहाड़ी की खाली पड़ी वन भूमि को उपयोग अवैद्य खनन के लिए किया गया जिसके कारण अब गहरे गड्ढो के अलावा यहां कुछ नहीं बचा है। वन विभाग ने महज बंजर व अनुपयोगी जमीन का बहाना बना कर रणधीसर पहाड़ी की वन भूमि व प्राकृतिक सम्पदा को बचाने का पूर्ण मनोयोग से कभी कोई संजीदा प्रयास ही नहीं किया। जिसके चलते पर्यावरण की अपूरणीय क्षति तो हुई ही साथ ही पेड़–पौधे, पशु–पक्षी व सरीसृप प्रजाति के हजारों जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गये।

2. प्रदूषण विभाग :– प्रदूषण नियन्त्रण विभाग माननीय न्यायालय के समक्ष अब अपना बचाव एवं पक्ष मज़बूत करने के लिए दिनांक 03.09.2022 को खनन माफियाओं को आगमन की पूर्व सूचना देकर अपनी वायु प्रदूषण जांचने की मशीन लेकर ग्राम पंचायत रणधीसर के पास लगाता है। हमारे ग्रामीण, साथी सोहनसिंह ने पूछा आप यहां पर क्या कर रहे है तो उन्होंने जवाब दिया कि हम यहां पर प्रदूषण की जांच कर रहे है। तब सोहन सिंह ने कहा कि आप पूरी पहाड़ी को बंद करवा कर कौनसे प्रदूषण की जांच कर रहे हो। जब पूरी पहाड़ी पर खनन, ब्लास्टिंग व क्रेशर चल रहे हो तो आप ग्रामीणों की मांग पर भी प्रदूषण जांच नहीं करते हो और अब बंद पहाड़ी का प्रदूषण जांच कर क्या साबित करना चाहते हो ? गांव के नवयुवक आ गये तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा यहां से जल्दी ही चले जाओ। हो गई जांच इतने दिन तुम कहां गये थे। दिनांक 12.09.2022 को रणधीसर पहाड़ी पूरी तरह बंद हो गई उसके बाद प्रदूषण नियन्त्रण विभाग के अधिकारी अपने प्रदूषण जांच के उपकरण लगा कर क्या जांच साबित करना चाहते है। प्रदूषण का प्रमाण तो रणधीसर गांव के मजदूर देंगे जो सिलकोसिस व टीबी जैसे गंभीर जानलेवा बिमारियों का दंश झेल रहे तथा न जाने कितने ग्रामीण असमय कालकलवित हो गये है। बाद में एक ग्रामीण जो कि रणधीसर पहाड़ी पर मुनीम का काम करते आ रहे है ने प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को कहा कि आप लोग सदैव खानापूर्ति करके क्यों लोगों को मार रहे हो, मै बताता हूँ कि यहां पर प्रदूषण कितना है, आपको सामने खेजड़ी का एक पेड़ नजर आ रहा है इसकी एक भी हरी पत्ती दिखा दो और सामने एक खेत का टिला नगर आ रहा है उस पर घास–पूस दिखाई दे रही है। इसका एक चक्कर लगा लो अपके स्वयं के कपड़े प्रदूषण

की गवाही दे देंगे कि यहां पर कितना प्रदूषण है। जिस पर विभाग के अधिकारी निरूत्तर हो गये।

3. खनन विभाग :– खनन विभाग अपना बचाव व पक्ष मजबूत करने के लिए सर्वाधिक अवांछनीय हथकंडे अपना रहा है। दिनांक 07.09.2022 से खान विभाग के अधिकारी लगातार अपनी खानापूर्ति करने के लिए रणधीसर पहाड़ी पर आ रहे है और अवैद्य खनन का आंकलन कर रहे है। कुछ अपनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए इन अवैद्य खनन माफियाओं पर जुर्माना/शास्ती लगाई जा सकती है। वर्षों से जुर्माना राशि बकाया चल रही थी को दरकिनार कर निरन्तर अवैद्य खनन को संचालित करवा कर इतना महा घोटाला करवाया। यह सारी देन खान विभाग की कार्यकारी एजेन्सी की है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बार–बार खनन विभाग को अवगत करवाने के बावजूद भी इतना महा घोटाला होना अपने आप में खान विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिह्न लगाने वाला है ऐसे में बार–बार जानबूझ का किये गये जाने वाले कृत्य को गलती या भूल की श्रेणी में न रखते हुये संगीन अपराध के दृष्टिकोण से देखा जाये।

इसी प्रकार रणधीसर पहाड़ी पर स्थित खान संख्या 36/1978 जो पूर्व में मांगीलाल पुत्र टोडाराम नायक निवासी रणधीसर के नाम अन्त्योदय श्रेणी में आंवटित थी। खान धारक ने आज से 20 साल पूर्व अपनी लीज को खान विभाग को सुर्पुद कर दिया था तब से आज तक यह सरकारी सम्पति थी जिसको खनिज अभियन्ता, चूरू की सहमति से पड़ौसी लीजधारक संख्या 17 व 19 के प्रतिनिधी हरिराम कीलका, निवासी आबसर ने इतने वर्षों तक अवैद्य खनन कर पूरी लीज़ का सम्पूर्ण अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। शिकायत करने पर इसी पूर्व मूल लीजधारक स्व. मांगीलाल नायक के पोते पर जुल्म, अत्याचार कर छापर पुलिस थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। पूरी लीज तो नष्ट हो चुकी है ऐसे में इस अवैद्य खनन की रिकवरी कौन भरेगा ? क्या पूर्व लीज धारक स्व. मांगीलाल, कार्यकारी ऐजेन्सी खनन विभाग या अवैद्य खननकर्ता हरिराम ?

यह लीज तो खान माफियाओं की भेंट चढ़ चुकी तथा अपना सम्पूर्ण अस्तित्व समाप्त करवा कर इसी लीज के पास गुजर रहे सरकारी आम रास्ते रणधीसर से धातरी, सिमसिया, राजलदेसर व ग्राम स्थानीय ग्रामीणों की कृषि भूमि को जोड़ने वाले रास्ते को भी नष्ट कर उसका वजूद मिटा दिया गया है। वर्तमान में जो रास्ता चल रहा है वह मोहन महराज के स्टोन क्रेशर की निजी भूमि से गुजर रहा है। क्रेशर धारक द्वारा अपनी निजी भूमि कवर कर ली जाये तो इस रास्ते का क्या होगा ? ग्रामीणों के आवागमन की जवाबदेयता क्या खनिज अभियन्ता, चूरू लेंगे। यह बिन्दू दिनांक 06.06.2022 को आई सर्वे टीम के समक्ष ग्रामीणों ने पीछे पड़ कर उसी स्थान पर बताया तो उन्होंने तहसीलदार को मौखिक सर्वे के

आदेश दिये जिसका कोई नतीजा आज दिनांक तक नहीं निकला। ऐसे अवैद्य खनन के अनेक प्रकरण व लीजे रणधीसर पहाड़ी पर स्थित है जिन पर खनन विभाग आंखे मूंदे बैठा है। बारीकी से जांच करने पर सारे तथ्य सामने आ जायेंगे।

अतः अग्रिम सूचना प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि बार–बार न्यायालय को गुमराह करने वाले तथा प्राकृतिक सम्पदा को संगठित अपराध गिरोह बना कर नष्ट–भ्रष्ट करने वाले अधिकारियों की कार गुजारी पर गौर फरमा कर आवश्यक कार्यवाही करावे तथा ग्रामीणों को न्याय दिलावे।

सधन्यवाद।

दिनांक 15.09.2022

प्रार्थी

मेघसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपुरोहित
निवासी ग्राम – रणधीसर
तहसील – सुजानगढ़, जिला–चूरू
राजस्थान – 331505
मो. 9468566124

राजस्थान सरकार,
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY
खनिज भवन, उदयपुर – 313 001 / Khanij Bhawan, Udaipur – 313 001
दूरभाष / Phones: 2415091.95, फेक्स /Fax: 0294 2410 526
(E-mail: sme.minor@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:निदे / प.2(एच–1)चूरू / 2022 / 825 दिनांक 08.09.2022

अधीक्षण खनि अभियंता,
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
बीकानेर (राज.)।

विषय:– रणधीसर पहाडी तहसील सुजानगढ जिला चुरू में प्रभावी खनन पट्टों को असुरक्षित खनन के कारण निरस्त करने बाबत ।

प्रसंग:– आपका पत्र कमांक अखअ / बीका / सीसीचूरू / 1687 दिनांक 07.09.2022 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि सहायक खनि अभियन्ता, चूरू द्वारा निम्नांकित सारणी में अंकित खननपट्टेधारियों के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे में पाये गये दोषों की पूर्तियां करने हेतु चेतना पत्र जारी किये गये:–

S. No.	ML . NO.	Name of lessese	Mineral	Area (In hect.)
1	15/1980	M/S Jai Ma Stone	Masonary stone	0.5000
2	36/1980	Smt. Bijju Devi W/o Shrawan kumar	Masonary stone	0.3394
3	41/1978	Sh. Megha ram	Masonary stone	0.4000
4	16/1999	Sh. Khiya ram	Masonary stone	0.6000
5	40/1987	M/s Ma Bhawani Stone	Masonary stone	0.5581
6	68/1978	Smt. Shanti Devi	Masonary stone	0.2150
7	50/1979	Jain Stone Crushing-II	Masonary stone	0.2700
8	71/1983	Mangtu Ram	Masonary stone	0.2616
9	49/1983	Ramvatar khatik	Masonary stone	0.2000
10	53/1978	Vinod Kumar Bangarwa	Masonary stone	0.2550
11	101/1977	Mamta Devi s/o Narendra kumar kaswan	Masonary stone	0.3600
12	162/1990	Rajendra Panwar	Masonary stone	0.4800
13	76/1983	Tarachand	Masonary stone	0.4500

14	36/1986	Ambika Stone Balast Suppliers	Masonary stone	0.5523
15	13/1978	Ashwini kumar sain	Masonary stone	0.3500
16	74/1982	Radheshyam	Masonary stone	0.5000
17	92/1978	Babulal pooniya	Masonary stone	0.4500
18	74/1983	Parki Devi W/O Nupa Ram	Masonary stone	0.0900
19	161/90	Ambe mines & minerals	Masonary stone	0.28
20	74/78	Punia Ballast Supliers	Masonary stone	0.4916
21	73/77	Shankar lal	Masonary stone	0.1575

खननपट्टाधारियों द्वारा चेतना पत्र में वर्णित दोषों की पूर्ण पालना नही करने पर आप द्वारा सारणी में वर्णित खननपट्टों को खण्डित करने बाबत् निदेशालय से अनुमोदन चाहा गया है। कमेटी द्वारा खनन पट्टा खण्डित करने की अनुशंषा की है। अतः निर्देशानुसार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28(2)(xvii)(a) के अन्तर्गत उपरोक्त सारणी में अंकित सभी 21 खनन पट्टों को खण्डित करने का अनुमोदन दिया जाता है।

साथ ही खनन पट्टा खण्डित करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लेवें कि खनन पट्टा खण्डित आदेश जारी होने तक पट्टेधारी द्वारा चेतना पत्र की पालना तो नहीं कर दी है।

भवदीय,

(अनिल खिमेसरा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.III)

क्रमांक:निदे/प.2(एच–1)चूरू/2022/826-830 **दिनांक** 08.09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक (खान), जोधपुर, जोन–जोधपुर।
2. उपविधि परामर्शी केन्द्रीय कार्यालय, उदयपुर को माननीय न्यायालय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 22.04.2022 के क्रम में।
3. सहायक खनि अभियन्ता, चूरू को उनके पत्र दिनांक 07.09.2022 के कम में ।
4. सम्बन्धित पट्टेधारी **द्वारा:–सहायक खनि अभियन्ता, चूरू**।
5. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण खनि अभियन्ता (मु.III)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- रणधीसर

पटवार हल्का :- रणधीसर

भू.अभि.नि. :- छापर

तहसील :- सुजानगढ़

जिला :- चूरू

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 315

खाता संख्या पुराना :- 296

काश्तकार का नाम:-

1. गणपतराम पुत्र नानूराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट निवासी रणधीसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास
2. प्रभूराम पुत्र नानूराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट निवासी रणधीसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास
3. परमेश्वरलाल पुत्र नानूराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट निवासी रणधीसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास
4. शान्तिदेवी पत्नि नानूराम हिस्सा- 1/4 जाति- जाट निवासी रणधीसर खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
812/327	1.4162	बा.सोयम	1.4162	1.67			
814/30	2.5290	बा.सोयम	2.5290	2.98			
कुल खसरे - 2	3.9452		3.9452	4.6500			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2022

NIC

(i) वन विभाग के अधिकारी
(ii) खान विभाग के अधिकारी
(iii) प्रदूषण नियन्त्रण विभाग के अधिकारी

इनको बचाव के आमन-खानन से निर्णय लेकर सम्बंधित पहाड़ी खनन क्षेत्र के अधिमान्तीत खसरा नं० 818/327 तथा 814/30 के प्रमाणित किया जावे अपना पत्र मजबूत करना चाहिये कि पट रकबा को सदभावना पूर्ण करते हैं

[illegible]

Latitude: 27.900574
Longitude: 74.499666
Elevation: 339.08±4 m
Accuracy: 7.7 m
Time: 09-14-2022 06:20
Note: रणधीसर पहाड़ी
Powered by NoteCam

Latitude: 27.9006
Longitude: 74.500964
Elevation: 327.06±6 m
Accuracy: 11.9 m
Time: 09-14-2022 06:16
Note: रणधीसर पहाड़ी